न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—76 / 2016 / 75 (2016 / 00076)

1. मोहम्मद रफी पुत्र मोहम्मद शफी,
2. मोहम्मद नफीस पुत्र मोहम्मद शफी,
3. मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद शफी,
4. मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद शफी,
5. शमीम पुत्री मोहम्मद शफी,
6. शबनम पुत्री मोहम्मद शफी,
7. शहनाज पुत्री मोहम्मद शफी,

समस्त जाति मुसलमान, नि0 ग्राम केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. नगर पालिका केकड़ी, जरिये अधिशाषी अधिकारी ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 9.11.2012.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—22.4.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है साबिक खसरा नंबर 3413 रकबा 4 बीघा वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के अनुसार बने खसरा नंबर 3956 रकबा 0.64 है0 हाल खसरा नंबर 3564 रकबा 0.64 है0 ग्राम केकड़ी में स्थित है जो अपीलांट की खरीदशुदा एवं खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलांट को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही आदेश दिनांक 9.11.2015 के द्वारा विवादित भूमि को कस्टोडियन से सिवायचक दर्ज कर नगर पालिका केकड़ी को हस्तातंरण करने के आदेश पारित किये । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने

अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान जिला कलक्टर ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि को अपीलांट ने खातेदार काश्तकार मोहम्मद युसुफ पुत्र हाजी अल्ला बेली से दिनांक 15.7.1943 को जरिये विक्रय पत्र क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था एवं क्रय दिनांक से अपीलांट मौके पर काबिज चला आ रहा है तथा विवादित भूमि वर्किंग जमाबंदी, आधार जमाबंदी एवं हाल जमाबंदी में विक्रेता मोहम्मद युसुफ के नाम दर्ज है तथा कभी भी कस्टोडियन भूमि नहीं रही है इस कारण उक्त भूमि नगर पालिका के नाम हस्तातंरित नहीं की जा सकती थी । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांटस के पिता को आपसी पारिवारिक बंटवारा में दिनांक 21.8.1982 को प्राप्त हुई जिसका पारिवारिक बंटवारा का दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत किया है जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर 65 सालों से अपीलांटस का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । विद्वान जिला कलक्टर ने विवादित भूमि के मौके एंव रिकार्ड की जांच किये बिना तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.2012 अपीलांटस की भूमि की हद तक निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि विद्वान जिला कलक्टर ने निर्णय दिनांक 9.11. 2012 पारित करने से पूर्व अपीलांटस को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया एवं एकतरफा में निर्णय पारित किया है जबकि विवादित भूमि अपीलांटस की क्रयशुदा आराजी है जिस पर वे 65 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 9.11.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे आदेश की अपीलांटस को जानकारी नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से हुई जिस पर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त करने के उपरांत कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से नगर पालिका, केकड़ी को हस्तातंरित की गई है तथा वर्तमान में नगर पालिका के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश में क्या त्रुटि है अपीलांटस ने दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9. अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का अवलोकन किया। अपीलांटस ने विवादित भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय करने तथा क्रय दिनांक से काबिज होने का कथन किया है किन्तु विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे अपीलांटस के हित प्रभावित होना प्रथमदृष्टया प्रकट होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. जहां तक धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है चूंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुना नहीं गया था जिससे आदेश की जानकारी प्रारंभ से होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांटस ने जानकारी के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि बरवक्त आवंटन राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी तथा जिला कलक्टर, अजमेर ने सिवाचक भूमि होने से नगर पालिका को हस्तातंरित की है । अपीलांटस ने अपनी अपील में कथन किया है कि विवादित भूमि जरिये विक्रय पत्र के क्रय कर गत् 65 वर्षो से विवादित भूमि पर कब्जे काश्त में चले आ रहे है किन्तु अपीलांटस ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नहीं किये तथा विवादित भूमि गलत रूप से सिवायचक दर्ज होने के संबंध में अपीलांटस द्वारा गलत इंद्राज की दुरूस्ती बाबत् सक्षम न्यायालय में संबंधित नियमों के तहत कोई कार्यवाही किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । वर्तमान राजस्त रिकार्ड में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमि अन्य भूमियों के साथ–साथ नगर पालिका, केकड़ी को हस्तातंरित की है । जिला कलक्टर, अजमेर के अपीलाधीन हस्तातंरण आदेश में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना अपीलांटस ने दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं किया है । अपीलांटस अपने खातेदारी हक अधिकारों के लिये सक्षम न्यायालय में संबंधित नियमों के तहत ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है न कि धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपनी अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

12. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक9.11.2012 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 22.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर